रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 22, 2016/माघ 2, 1937
No. 28] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2016/ MAGHA 2, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क सुरक्षा)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2016

सं. आरटी-25035/101/2014-आरएस.—जबकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) संख्या 235/2012 में सेव लाईफ फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 2014 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा उचित विधि निर्माण किए जाने तक गुड सेमेरिटन के बचाव के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का निदेश दिया है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार ने सड़क पर किसी घायल व्यक्ति अथवा किसी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करने वाले गुड सेमेरिटन जो एक बाईस्टैंडर अथवा राहगीर हो सकता है, के बचाव के लिए, भारत के राजपत्र, भाग-I, खंड-I में दिनांक 12 मई, 2015 को दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे;

और जबकि, दिनांक 12 मई, 2015 को प्रकाशित दिशा-निर्देशों के पैरा संख्या-1 (7) और (8) के तहत पुलिस द्वारा अथवा ट्रायल के दौरान गुड सेमेरिटनों की जांच के लिए मानक संचालन प्रक्रियायों को तैयार किया जाना है;

और जबकि, केन्द्रीय सरकार, पुलिस द्वारा अथवा ट्रायल के दौरान गुड सेमेरिटनों की जांच पड़ताल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करना आवश्यक समझती है तथा एतद्वारा निम्नलिखित मानक संचालन प्रक्रिया जारी करती है, अर्थात्:-

1.

(1) गुड सेमेरिटन के साथ सम्मानपूर्वक और लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना व्यवहार किया जाएगा ।

(2) किसी प्रत्यक्षदर्शी के अलावा, कोई व्यक्ति जो किसी दुर्घटना में घायल व्यक्ति अथवा मृतक के बारे में सूचना देने के लिए पुलिस नियंत्रण कक्ष अथवा पुलिस थाने में फोन कॉल करता है, को पूरा नाम, पता, फोन नंबर आदि जैसा व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) कोई पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचने पर गुड सेमेरिटन को रिकार्ड फार्म या लॉग रजिस्टर में, अपना नाम, पहचान, पता और इस प्रकार का अन्य ब्यौरा बताने के लिए बाध्य नहीं करेगा ।

(4) कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति की मदद करने वाले किसी गुड सेमेरिटन को, उस मामले में गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं करेगा । मामले में गवाह बनने का विकल्प केवल गुड सेमेरिटन पर निर्भर करेगा ।

(5) सड़क पर घायल किसी व्यक्ति के बारे में पुलिस को सूचना देने के पश्चात् संबंधित पुलिस अधिकारी(यों) द्वारा गुड सेमेरिटन को जाने की अनुमति दी जाएगी और यदि गुड सेमेरिटन उस मामले में गवाह बनने का इच्छुक नहीं होता है तो उससे आगे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी ।

2. **पुलिस द्वारा गुड सेमेरिटन की जांच पड़ताल**

(1) यदि कोई गुड सेमेरिटन गवाह बनना चाहता है तो उसकी जांच पड़ताल अत्यधिक संवेदनशीलता एवं सम्मान के साथ और लिंग, धर्म, राष्ट्रीयता, जाति या किसी अन्य आधार पर बिना किसी भेदभाव के, की जाएगी ।

(2) यदि कोई गुड सेमेरिटन गवाह बनना चाहता है और पुलिस थाने जाना नहीं चाहता तो जांच अधिकारी द्वारा सादे कपड़ों में उससे पूछताछ यथासंभव उसकी सुविधानुसार किसी समय और स्थान, जैसे उसके आवास या कार्य के स्थान पर की जाएगी ।

(3) जब गुड सेमेरिटन से पूछताछ उसकी सुविधानुसार समय और स्थान पर किया जाना संभव नहीं होता है और गुड सेमेरिटन को जांच अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए पुलिस थाने में जाना अपेक्षित होता है तो उस अधिकारी द्वारा ऐसा किए जाने के कारणों को लिखित में रिकार्ड किया जाएगा ।

(4) यदि कोई गुड सेमेरिटन पुलिस थाने में जाने का चयन करता है तो उससे बिना किसी अनुचित विलंब के एक तर्कसंगत और समयबद्ध रूप से एक ही बार में पूछताछ की जाएगी ।

(5) यदि गुड सेमेरिटन, जांच अधिकारी की भाषा या संबंधित क्षेत्राधिकार की स्थानीय भाषा से भिन्न भाषा में बातचीत करता है तो जांच अधिकारी द्वारा एक इंटरप्रेटर की व्यवस्था की जाएगी ।

(6) जब कोई गुड सेमेरिटन अपने आप को एक प्रत्यक्षदर्शी घोषित करता है तो उसे, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) की धारा 284 जिसका संदर्भ *शपथ-पत्र पर औपचारिक रूप से साक्ष्य* से है, के अनुसार अपना साक्ष्य शपथ-पत्र पर दिए जाने की अनुमति दी जाएगी ।

(7) जांच पड़ताल करते समय ऐसे गुड सेमेरिटन का पूरा बयान या शपथ-पत्र पुलिस अधिकारी द्वारा एक ही बार पूछताछ के दौरान रिकार्ड किया जाएगा ।

(8) मामले की परिस्थितियों के अंतर्गत यदि गुड सेमेरिटन अनुचित विलंब, व्यय या असुविधा के बिना उपस्थित नहीं हो सकता अथवा उसकी जांच पड़ताल उसकी सुविधानुसार समय और स्थान पर किया जाना संभव नहीं होता है तो संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन किए जाने पर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 की 2) की धारा 284 के अनुसरण में, उस गुड सेमेरिटन की जांच पड़ताल के लिए एक आयोग नियुक्त कर सकती है ।

3. पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त या किसी जिले के तत्स्थानी वरिष्ठता शीर्ष के पुलिस बल के कोई अन्य पुलिस अधिकारी, जैसा भी मामला हो, यह सुनिश्चित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे कि उक्त उल्लिखित सभी प्रक्रियाएं उनके संबंधित क्षेत्राधिकार भर में तत्काल रूप से लागू की जाएं ।

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(ROAD SAFETY)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2016

No. RT-25035/101/2014-RS.—Whereas, the Hon'ble Supreme Court in the case of Save Life Foundation and another Vs Union of India and another in Writ Petition (Civil) No. 235/2012 vide its order dated 29th October 2014, inter-alia, directed to issue necessary directions with regard to the protection of Good Samaritans until appropriate legislation is made by the Union Legislature;

And whereas, the Central Government published the guidelines in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I dated 12th May 2015 for protection of the Good Samaritans, i.e. a person who is a bystander or a passer-by, who chooses to assist an injured person or a person in distress on the road;

And whereas, as per para 1 (7) and (8) of the said guidelines dated 12th May, 2015, Standard Operating Procedures are to be framed for the examination of Good Samaritans by the Police or during trial;

And whereas, the Central Government considers it necessary to issue Standard Operating Procedure for the examination of Good Samaritans by the Police or during trial and here by issue the following standard operating procedure, namely:—

1.

1. The Good Samaritan shall be treated respectfully and without any discrimination on the grounds of gender, religion, nationality, caste or any other grounds.
2. Any person who makes a phone call to the Police control room or Police station to give information about any accidental injury or death, except an eyewitness may not reveal personal details such as full name, address, phone number etc.
3. Any Police official, on arrival at the scene, shall not compel the Good Samaritan to disclose his / her name, identity, address and other such details in the Record Form or Log Register.
4. Any Police official or any other person shall not force any Good Samaritan who helps an injured person to become a witness in the matter. The option of becoming a witness in the matter shall solely rest with the Good Samaritan.
5. The concerned Police official(s) shall allow the Good Samaritan to leave after having informed the Police about an injured person on the road, and no further questions shall be asked if the Good Samaritan does not desire to be a witness in the matter.

2. Examination of Good Samaritan by the Police

1. In case a Good Samaritan so chooses to be a witness, he shall be examined with utmost care and respect and without any discrimination on the grounds of gender, religion, nationality, caste or any other grounds.
2. In case a Good Samaritan chooses to be a witness, his examination by the investigating officer shall, as far as possible, be conducted at a time and place of his convenience such as his place of residence or business, and the investigation officer shall be dressed in plain clothes, unless the Good Samaritan chooses to visit the police station.
3. Where the examination of the Good Samaritan is not possible to be conducted at a time and place of his convenience and the Good Samaritan is required by the Investigation Officer to visit the police station, the reasons for the same shall be recorded by such officer in writing.
4. In case a Good Samaritan so chooses to visit the Police Station, he shall be examined in a single examination in a reasonable and time-bound manner, without causing any undue delay.
5. In case the Good Samaritan speaks a language other than the language of the Investigating Officer or the local language of the respective jurisdiction, the Investigating Officer shall arrange for an interpreter.

6. Where a Good Samaritan declares himself to be an eye-witness, he shall be allowed to give his evidence on affidavit, in accordance with section 296 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) which refers to *Evidence in Formal Character on Affidavit.*

7. The complete statement or affidavit of such Good Samaritan shall be recorded by the Police official while conducting the investigation in a single examination.

8. In case the attendance of the Good Samaritan cannot be procured without delay, expense or inconvenience which, under the circumstances of the case, would be unreasonable, or his examination is unable to take place at a time and place of his convenience, the Court of Magistrate may appoint a commission for the examination of the Good Samaritan in accordance with section 284 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) on an application by the concerned.

3. The Superintendent of Police or Deputy Commissioner of Police or any other Police official of corresponding seniority heading the Police force of a District, as the case may be, shall be responsible to ensure that all the above mentioned procedures are implemented throughout their respective jurisdictions with immediate effect.

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

285 (8) 272

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126] नई दिल्ली, बुधवार, मई 13, 2015/वैशाख 23, 1937
No. 126] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 13, 2015/VAISAKHA 23, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2015

सं. 25035/101/2014-आरएस.—जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2012 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 235 में सेवलाईफ फाउंडेशन और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में अपने आदेश दिनांक 29 अक्तूबर, 2014 के तहत अन्य बातों के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय विधान मंडल द्वारा उचित विधि निर्माण किए जाने तक गुड सेमेरिटन के बचाव के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है;

और जबकि केन्द्रीय सरकार, सड़क दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाने के लिए उनके द्वारा की जा रही कार्रवाइयों के संबंध में गुड सेमेरिटन को उत्पीड़न से बचाव के लिए इसे आवश्यक समझती है तथा, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा गुड सेमेरिटन के बचाव के लिए अस्पतालों, पुलिस और अन्य सभी प्राधिकरणों को अनुपालन किए जाने हेतु निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करती है, अर्थात्:-

1. (1) किसी सड़क दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी सहित कोई भी बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी घायल व्यक्ति को निकटतम अस्पताल में लेकर जा सकता है, तथा उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को तुरंत जाने की अनुमति दे दी जाएगी और उस बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, सिवाय सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी के, जिसे पता बताने के बाद जाने दिया जाएगा।

(2) सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने हेतु अन्य नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकरणों द्वारा बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन को उचित ईनाम या मुआवजा दिया जाएगा।

(3) बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन किसी सिविल तथा आपराधिक दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

(4) कोई बाईस्टैंडर या गुड सेमेरिटन जो सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति के लिए पुलिस को सूचना देने अथवा आपातकालीन सेवाओं हेतु फोन कॉल करता है, उसे फोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना नाम और व्यक्तिगत विवरण देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।